



## कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), जिला जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

// आदेश //

क्रमांक / 2392 / भू.अ. / स्था. / पट.प्रशि.चयन / 2017

जांजगीर, दिनांक 10 / 11 / 2017

आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, नया रायपुर के पत्र क्रमांक / 1924 / आभूअ / स्था. -2 / 2017 नया रायपुर, दिनांक 16.05.2017 द्वारा व्यवसायिक मंडल से प्राप्त पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा 2017 का परिणाम पटवारी प्रशिक्षण के लिए चयन की प्रक्रिया पूर्ण किये जाने हेतु प्राप्त होने पर छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति अनुसार जिला में 86 रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती से किये जाने हेतु प्राप्त मेरिट सूची के आधार पर दिनांक 29.06.2017, 30.06.2017, 01.07.2017 एवं 19.07.2017 को दस्तावेज सत्यापन हेतु आहूत की गई थी। दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों का पटवारी चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार कार्यालयीन आदेश क्र. / 1864 / 17भू.अ. / स्था. / पट.प्रशि.चयन / 2017 जांजगीर दिनांक 08.09.2017 द्वारा रिक्त 86 पद के विरुद्ध 83 योग्य अभ्यर्थियों का अंतिम चयन सूची जारी किया गया था, जिसमें वर्गवार अनारक्षित वर्ग 06 (मुक्त-5, महिला-1) अन्य पिछड़ा वर्ग 02 (मुक्त-2) अनुसूचित जाति वर्ग 03 (मुक्त-2, महिला-1) कुल 11 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 2012 / 17भू.अ. / स्था. / पट.प्रशि.चयन / 2017 जांजगीर, दिनांक 21.09.2017 द्वारा अनुपस्थित 11 अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदाय करते हुए भू-अभिलेख शाखा जांजगीर-चाम्पा में उपस्थिति हेतु सूचित किया गया था, किन्तु अनुपस्थित 11 अभ्यर्थी उक्त आदेश के परिपालन में उपस्थित नहीं हुए।

अतः उपरोक्तानुसार 11 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहने के कारण अनारक्षित वर्ग 06 (मुक्त-5, महिला-1) अन्य पिछड़ा वर्ग 02 (मुक्त-2) अनुसूचित जाति वर्ग 03 (मुक्त-2, महिला-1) कुल 11 रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने के लिए पटवारी प्रशिक्षण चयन समिति द्वारा जारी प्रतीक्षा सूची से निम्नांकित अभ्यर्थियों का पटवारी प्रशिक्षण हेतु निम्न शर्तों के अधीन चयन सूची जारी किया जाता है :-

// 2 //

//2//

## अनारक्षित वर्ग

क्र.	रोल नंबर	अभ्यर्थी का नाम	पिता/Relation का नाम	लिंग	जन्म तिथि	वर्ग	प्राप्तांक	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	180200163	DANENDRA SINGH RATHORE	RAGHUNATH SINGH RATHORE	M	04/09/94	OBC	88.265	
2	180240144	RISHI MISHRA	DILHARAN LAL MISHRA	M	27/08/79	GEN	87.245	
3	130360124	CHANDRES H RATHORE	BADRIKA PRASAD RATHORE	M	18/07/87	OBC	86.735	
4	131010225	THALESHWAR PRASAD DEWANGAN	RAM SHANKAR DEWANGAN	M	12/07/91	OBC	86.224	
5	220010082	PUSHPENDRA KUMAR CHANDRA	VIJAY KUMAR CHANDRA	M	29/10/92	GEN	86.224	
6	180350192	RITU RANI SHARMA	MADHAV PRASAD SHARMA	F	19/08/89	GEN	73.214	

## अन्य पिछड़ा वर्ग

क्र.	रोल नंबर	अभ्यर्थी का नाम	पिता/Relation का नाम	लिंग	जन्म तिथि	वर्ग	प्राप्तांक	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	130070100	MOHNISH KUMAR DEWANGAN	SHUKNANDAN DEWANGAN	M	25/11/90	OBC	85.969	
2	130030147	VIKAS KUMAR	RADHE SHYAM	M	26/06/86	OBC	85.714	

//3//

//3//

अनुसूचित जाति वर्ग


क्र.	रोल नंबर	अभ्यर्थी का नाम	पिता/Relation का नाम	लिंग	जन्म तिथि	वर्ग	प्राप्तांक	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	130120032	NILESH KUMAR KHANDEY	KUNDAN LAL KHANDEY	M	02/01/84	SC	78.061	
2	180170111	SHABBIR KUMAR	KRISHNA LAL	M	24/11/86	SC	77.296	
3	130460333	TARA BAI NIRALA	JHANAK RAM NIRALA	F	13/05/90	SC	66.071	

शर्तें :-

- उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी दिनांक 22/11/2017 तक अपनी उपस्थिति आवश्यक प्रमाण पत्र (10 वीं/12 वीं/स्नातक प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र/स्थायी जाति प्रमाण पत्र/रोजगार पंजीयन आदि) सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा। जिसके लिये कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जावेगा।
- चयनित अभ्यर्थियों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2400/- (लेबल 6-25300/-) इसके अतिरिक्त शासन द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते, एक वर्ष का प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण करने पश्चात् पटवारी के पद पर नियुक्त किये जाने पर देय होगा।
- चयन में निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
- चयनित अभ्यर्थी उक्त पद हेतु पात्रता नहीं रखता है, अथवा गलत जानकारी/प्रमाण पत्र के आधार पर चयन प्राप्त किया गया है, तो कभी भी बिना कारण बताये चयन निरस्त कर दी जावेगी। इस संबंध में चयनित अभ्यर्थी को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

//4//


6. आरक्षित प्रवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी/प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये तो बिना किसी पूर्व सूचना के चयन से पृथक किये जाने की कार्यवाही की जावेगी तथा संबंधित के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान के तहत कार्यवाही भी की जावेगी।

  
कलेक्टर  
जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

पृ.क्र./ 2393 / भू.अ./स्था./पट.प्रशि.चयन/2017  
प्रतिलिपि :-

जांजगीर, दिनांक 20/11/2017

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़ नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस अधीक्षक-जिला जांजगीर-चाम्पा की ओर सूचनार्थ।
5. उपायुक्त, भू-अभिलेख बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
6. प्राचार्य, पटवारी प्रशिक्षण शाला, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. जांजगीर-चाम्पा की ओर सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाइट में अपलोड हेतु।
8. जिला संपर्क अधिकारी, जांजगीर-चाम्पा की ओर सूचनार्थ एवं निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
9. सर्व संबंधित ..... की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि आप अपनी उपस्थिति दिनांक 22/11/2017 तक कार्यालयीन समय में वांछित दस्तावेजों के साथ इस कार्यालय में अनिवार्यतः देवें।
10. कार्यालयीन नस्ती हेतु।

  
कलेक्टर  
जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)